धारा 172 के अधीन निर्मित नियम

छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962

म.प्र. राजपत्र दिनांक 28 जून, 1963 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 1183-सात-63, दिनांक 3 मई, 1963 द्वारा राज्य शासन ने धारा 172 की उपधारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 निर्मित किए हैं। इन नियमों द्वारा पुराने नियम अतिष्ठित हो गये। अधिसूचना क्र. 2324-आठ 43, दिनांक 9 दिसंबर, 1963 द्वारा नये नियम दिनांक 1 जनवरी, 1964 से प्रभावी किए गए। 1 जनवरी, 1964 के पश्चात् पेश किए आवेदनों के निवारण हेतु नए नियमों का प्रयोग किया जाएगा, जब कि उसके पहले के प्रकरणों से पुराने नियम प्रयोज्य होंगे। नवीन नियम निम्नलिखित हैं :—

1. (1) यह नियम **छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962** कहा जा सकेगा।

(2) वे उस तिथि[2] से प्रभावी होंगे, जो राज्य शासन अधिसूचना द्वारा विहित करे।

[3][**2. परिभाषाएँ**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो,—

(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959);

(ख) "**वाणिज्यिक प्रयोजन**" से अभिप्रेत है, किसी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के लिए किसी परिसर (स्थल) का उपयोग जिसमें एक दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बैंक, कार्यालय, अतिथि गृह, हॉस्टल, रेस्टॉरेन्ट (रेस्तरॉं), ढाबा (चाहे उसका निर्माण कच्चा हो या पक्का), शो-रुम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पम्प, विस्फोटक प्रतिष्ठान, धर्मकांटा

---

1. अधिनियम क्र. 17 सन् 1996 द्वारा अन्तःस्थापित। म.प्र. राजपत्र दिनांक 10-10-1996 को प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्र. 2324-आठ-43, दिनांक 9-12-1963 द्वारा यह नियम दिनांक 1-1-1964 से प्रभावी।
3. अधिसूचना क्र. एफ-6-74/सात-3/2010, दिनांक 23-12-2011 द्वारा जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-12-2011 को पृष्ठ 653-654(2) पर प्रकाशित।

(वे-ब्रिज), गोदाम, वर्कशॉप या कोई अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं तथा इसमें आंशिक रूप से निवास के लिये एवं आंशिक रूप से वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये उपयोग भी सम्मिलित है [1][:]

[2][परन्तु यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनार्थ गोदामों के लिये भूमि व्यपवर्तन हेतु पुनः निर्धारण से छूट दी जायेगी।]

(ग) "**सक्षम प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो अधिनियम की धारा 172 में तथा इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(घ) "**विकासकर्ता**" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो किसी प्लाट के उप-विभाजन, पुन:निर्माण या सुधार की इच्छा रखता हो या प्रयास करता हो;

(ङ) "**जिला मूल्यांकन समिति**" से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 4(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी जिले के लिए समय-समय पर गठित की गई समिति;

(च) "**औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक संपदा**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम या निजी निवेशक द्वारा उद्योग या उद्योगों की स्थापना के लिये यथास्थिति विकसित की गई भूमि का क्षेत्र, जिसमें अनिवार्य कल्याणकारी एवं सहायक सेवाएँ जैसे पोस्ट ऑफिस, निवासी कॉलोनी (कर्मचारियों के लिए), शैक्षणिक संस्थान, कोल्ड स्टोरेज, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, विद्युत केन्द्र एवं जल प्रदाय केन्द्र व अपशिष्ट पदार्थों के निकासी की सुविधाएँ, औषधालय या अस्पताल, बैंक, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, वे-ब्रिज आदि सम्मिलित हैं;

(छ) "**औद्योगिक प्रयोजन**" से अभिप्रेत है, वर्कशॉप के लिए किसी परिसर या किसी उद्योग जिसमें मध्यम या दीर्घ इकाई या पर्यटन केन्द्र सम्मिलित है, के लिये खुले क्षेत्र का उपयोग तथा इसमें ईंट निर्माण को भट्ठी शामिल होगी किन्तु खण्ड (ख) में यथा परिभाषित प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने वाले कोई परिसर सम्मिलित नहीं होंगे;

(ज) "**संस्थागत प्रयोजन**" से अभिप्रेत है, कोई परिसर या खुला स्थान जिसका उपयोग किसी संस्थान, संगठन तथा संघ द्वारा लोकोपयोगी प्रयोजन को छोड़कर किसी प्रयोजन विशेषतः सामान्य उपयोगिता, धर्मार्थ, शिक्षा या समान उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है;

(झ) "**स्वास्थ्य सुविधाएँ**" में क्लीनिक, डिस्पेंसरी, अस्पताल, जाँच केन्द्र, नर्सिंग होम आदि शामिल हैं;

(ञ) "**मास्टर प्लान क्षेत्र**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) के प्रावधानों के अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र के विकास हेतु तैयार की गई या अनुमोदित मास्टर प्लान द्वारा आच्छादित क्षेत्र;

---

1. अधिसूचना क्र. एफ-4-97/सात-1/2018, दिनांक 27-5-2019 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-5-2019 को पृष्ठ 372(1) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-4-97/सात-1/2018, दिनांक 27-5-2019 द्वारा जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-5-2019 को पृष्ठ 372(1) पर प्रकाशित।

(ट) "**निवेश क्षेत्र**" से अभिप्रेत है, मास्टर प्लान या विकास योजना से आच्छादित किसी शहर या नगर का क्षेत्र;

(ठ) "**व्यक्ति**" से अभिप्रेत है, मानव तथा इसमें फर्म, रजिस्टर्ड सोसायटी, व्यक्तियों का संघ, निगमित निकाय या कोई अन्य कानूनी व्यक्ति सम्मिलित है;

(ड) "**सार्वजनिक प्रयोजन**" से अभिप्रेत है, धर्मशाला, धार्मिक स्थान, गौशाला या सार्वजनिक उद्यान;

(ढ) "**ग्रामीण क्षेत्र**" से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जो अधिसूचित क्षेत्र या नगरीय निकाय तथा उसके धारित क्षेत्र में सम्मिलित न हो;

(ण) "**निवासी इकाई**" से अभिप्रेत है, मानव के रहने के लिए किसी परिसर का उपयोग, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर से अधिक न हो;

(त) "**आवासीय कालोनी/परियोजना**" से अभिप्रेत है, इच्छुक व्यक्ति को आगे विक्रय करने के लिए विकासकर्ता द्वारा विकसित किए गए आवासीय प्लाट/फ्लैट/मकान;

(थ) "**धारा**" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा;

(द) "**अनुसूची**" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ध) "**नगरीय क्षेत्र**" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2(य-4) के अधीन यथा परिभाषित क्षेत्र।

[1][**2-क**]. भूमि के व्यपवर्तन के प्रार्थना पत्र में भूमिस्वामी का नाम, उस भूमि का ब्यौरा जो व्यपवर्तन किये जाने प्रस्तावित हो, और वह उद्देश्य जिसके हेतु व्यपवर्तन वांछित हो, वर्णित किए जाएँगे, एवं ऐसे आवेदन के साथ सर्वेक्षण संख्यांक अथवा भू-खंडांक के स्थल मानचित्र (साइट प्लान) एवं समोच्च मानचित्र (कंटूर मैप) संलग्न किए जाएँगे; और जब भूमि का व्यपवर्तन गृह-स्थल के रूप में उपयोग हेतु किया जाना प्रस्तावित हो, तब आवेदन सहित ऐसे रेखाभिन्यास (ले आउट) और उपविभागों की प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी, जिसमें भूमि के स्तर की दशा और चौड़ाई, व्यपवर्तित होने वाली भूमि के अंदर एवं बाहरी नाली व्यवस्था (ड्रेनेज) दर्शाई गयी हो। आवेदन में यथाशक्य, स्पष्ट रूप से अभिप्रेत नाली व्यवस्था का तात्कालिक और निर्णायक निकास भी दर्शित किया जायेगा :

परन्तु [2][सक्षम प्राधिकारी] उन ग्रामों के विषय में जिनकी जनसंख्या 2,000 से न्यून हो, एवं जो किसी कस्बे या नगर की बाहरी सीमा से 10 मील की दूरी पर अवस्थित है, ऐसे आवेदनों सहित पेश किए जाने के लिए आवश्यक विवरण से मुक्त कर सकेगा।

3. यदि नियम 2 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, [2][सक्षम प्राधिकरी] की यह राय हो, कि यदि माँगे गए व्यपवर्तन की अनुमति दे दी गई, तो किसी लोक बाधाओं के उद्भूत होने की संभावना है, तो वह इसकी अनुमति देने से अस्वीकार कर देगा।

4. (1) यदि व्यपवर्तन उपनिवेश (कालोनी) स्थापित करने हेतु वाँछित हो, तब आवेदन में वर्णित किए जाएँगे :—

1. अधिसूचना क्र. एफ-6-74/सात-3/2010, दिनांक 23-12-2011 द्वारा पुन:क्रमांकित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-12-2011 को पृष्ठ 653-654(2) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-6-74/सात-3/2010, दिनांक 23-12-2011 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-12-2011 को पृष्ठ 653-654(2) पर प्रकाशित।

(क) आवेदन के 12 वर्ष पूर्व की तारीख को वह भूमि अथवा उसका कोई भाग जैसे एवं जिसके अधिकार में कब्जा में हो, एवं वह भूमि आवेदक अथवा आवेदकों द्वारा वर्तमान अधिकार में किस रीति से धारित हुई, उसका संपूर्ण विवरण;

(ख) अभिन्यास (ले आउट) के खर्च का विस्तारित पूर्व आकलन;

(ग) विकास के संपूर्ण विवरण का पूर्ण ब्यौरा; एवं

(घ) वह कालावधि जिसके अंदर व्यपवर्तित जमीन के प्रस्तावित रूप में विकसित होने की संभावना हो।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनार्थ "विकास" में भूमि तल का पूरित होना, समतल एवं वेदकायित (टेरेसिंग) एवं सड़कों का उपपथ (एप्रोच रोड) समेत निर्माण, नालियाँ एवं जल-प्रदाय समाहित होंगे एवं "अभिन्यास" में "विकास" के अतिरिक्त अधिवासार्थ विक्रय या किराये पर देने के लिए एवं क्रीड़ा स्थलों, उद्यानों, पाठशालाओं, अस्पतालों या सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य समान प्रयोजनार्थ सुरक्षित भू-खंडों का अभिन्यास समाहित होगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ समाहित होने वाले मानचित्र में यदि भूमि निम्नांकित हेतु सुरक्षित अथवा विकसित की गयी हो, तो उसे भी दर्शित किया जाएगा :—

(एक) सड़कें (उप-पथों सहित);

(दो) भू-खंडों के अंदर अथवा उनके बीच में रिक्त स्थल;

(तीन) उद्यान;

(चार) मनोरंजन स्थल;

(पाँच) पाठशालाएँ, क्रीड़ा स्थल समेत;

(छह) बाजार;

(सात) नालियाँ, गंदी नालियों (सीवेज) और स्तरीय नाली प्रबंधन एवं मल प्रवाह की निर्वास प्रबंधन सहित;

(आठ) अन्य प्रकार के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ।

(3) उपनियम (1) में वर्णित प्रयोजनार्थ आवेदन सहित मानचित्र के अनुसार निर्माण को उस समयावधि के अंदर जो [1][सक्षम प्राधिकारी] अनुमति देते समय निर्देशित करे, पूर्ण करने के आश्वासन हेतु नगद प्रतिभूति का अभिन्यास के आकलित खर्च के 1/5 भाग का जमा बताते हुए, ट्रेजरी चालान संलग्न होगा, एवं जब [1][सक्षम प्राधिकारी] यह उचित समझे, कि जमा धनराशि अन्तिम रूप से स्वीकृत आकलन खर्च के 1/5 भाग से कम है, तो वह आवेदक को, इस विषय में वर्णित ऐसी कालावधि के भीतर अंतर का जमा करने के लिए आदेशित कर सकेगा :

परन्तु [1][सक्षम प्राधिकारी], उपरोक्त प्रकरणों में लिखित में कारण दर्शित करते हुए एवं अभिन्यास स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी की आज्ञा से यदि आवेदक उस धनराशि के लिए जो उपनियम के अंतर्गत गुणित धनराशि से कम हो, तो प्रतिभू देने के लिए अभिसिप्त हो तो, नगद जमानत के रूप में कम धनराशि भी स्वीकार कर सकेगा।

---

1. अधिसूचना क्र. एफ-6-74/सात-3/2010, दिनांक 23-12-2011 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-12-2011 को पृष्ठ 653-654(2) पर प्रकाशित।

(4) उपनिवेश (कालोनी) विकसित करने के लिए व्यपवर्तन का आवेदन तब तक स्वीकार नहीं होगा, जब तक उसके साथ उपनियम (3) में अभिसिप्त नगद प्रतिभूति का भुगतान दर्शित करते हुए ट्रेजरी चालान संलग्न न हो, तथा जब तक उस नियम में वर्णित धनराशि का अंतर निक्षेपित न कर दिया गया हो, या इस बारे में प्रतिभूति न दे दी गई हो।

(5) इस उपनियम के अंतर्गत जमा नगद प्रतिभूति, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप उपनिवेश (कालोनी) का विकास पूर्ण होने या अनुज्ञा न मिलने पर, जैसी भी स्थिति हो, वापस कर दी जाएगी।

5. जब वह भूमि जिसके विषय में आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, स्थानीय प्राधिकरण की सीमा के भीतर मौजूद हो, स्थानीय प्राधिकरण से मशविरा किया जाएगा, एवं यदि उसे आवेदित व्यपवर्तन के विषय में या अभिन्यास स्वीकृत होने में कोई आपत्ति हो, एवं यदि स्थानीय प्राधिकरण की आपत्तियों के कारण अभिन्यास में कोई परिवर्तन आवश्यक हो जाए, तो अभिन्यास में तद्नुसार परिवर्तन किया जाएगा।

6. (1) मुख्य नगर निवेशक द्वारा अनुमोदित एवं जिलाधीश द्वारा अभिस्वीकृत अभिन्यास के अनुसार के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में जो ऐसे क्षेत्र के निकटस्थ हो, या 30,000 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर की बाहरी सीमा के चारों तरफ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी दूरी में हो, या ऐसे ग्राम में या ग्राम से बाहर हो, जिसे राज्य सरकार रेल्वे स्टेशन, राष्ट्रीय महामार्ग, या महत्वपूर्ण उद्योग अथवा उद्योगों के समूह के निकटता की दृष्टि से अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे, भवनों के लिए व्यपवर्तन मंजूर नहीं किया जाएगा।

(2) जिलाधीश मुख्य नगर निवेशक का अनुमोदन हो जाने के बाद एवं यदि वह ऐसा करना उचित समझे, तो लोक निर्माण, नगर निवेश, गृह निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विद्युत, प्राकृतिक साधन, शिक्षा अथवा श्रम या किसी अन्य विभाग या केन्द्रीय शासन के विद्यमान विभाग या छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अथवा लोक महत्व के मामलों को कार्यान्वयन हेतु राय देने के उद्देश्य से निर्मित किसी वैधानिक या अन्य निकाय से राय ले सकेगा।

7. यदि खाते में समाहित भूमि का कोई हिस्सा लोक सड़क या सिंचाई हेतु लोक तालाब या कोई विस्तार कार्य या साधारण जन-मानस द्वारा किसी भी तरह के निस्तार कार्य के उपयोग में लेना हो, तो कृषि के सिवाय एवं किसी अन्य प्रयोजनार्थ उसको व्यपवर्तित करने की अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक उस पर की सड़क अथवा तालाब का अस्तित्व खत्म न हो जाए, या वह लोकमानस की सुविधा की पूर्ति के योग्य न रहे, या आगे भूमि की सार्वजनिक उपयोग हेतु जरुरत न रहे। खाते के शेष भाग के व्यपवर्तन की अनुमति सशर्त होगी कि व्यपवर्तन ऊपर लिखित के अनुसार अपवर्जित हिस्सा की उपयोगिता एवं उपयोग को प्रभावित नहीं करेगा, प्रदत्त किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक तालाब" में ऐसा तालाब समाहित नहीं है, जिसका भूस्वामी, जिसकी भूमि में यह तालाब अवस्थित है, के एकल कब्जा में भूमि की सिंचाई के लिए किया जाता है।

8. जहाँ इस तरह अनुज्ञात की गई अभिन्यास हो, जिसमें ऐसा विशाल क्षेत्र हो, जो उस भूमि को जिसके हेतु व्यपवर्तन चाहा गया है, समाहित करता हो, तो उसके व्यपवर्तन की अनुमति की शर्तें अभिन्यास की ऐसी सामान्य आकृति, जो पूर्ण अभिन्यास को प्रभावी हो, एवं ऐसी विशिष्ट आकृति जो उस भूमि के विषय में जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तक परिसीमित रहेगी।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ आकृति का विनिश्चय नियम 4 के उपनियम (1) एवं (2) में वर्णित विवरण के संदर्भ में होगा।

9. (1) [1][सक्षम प्राधिकारी] आवेदक को लिखित रूप में यह सूचित करेगा, कि जो व्यपवर्तन इच्छित है, वह किन शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा एवं निवास स्थल के लिए व्यपवर्तन के विषय में अंतिम रूप से स्वीकृत अभिन्यास की प्रतिलिपि भी प्रदान करेगा, एवं आवेदक से लिखित में यह पूछा जाएगा, कि वह उस उद्देश्यार्थ निर्देशित समय के भीतर लिखित में अपनी संसूचना प्रेषित करे, यदि वह इस प्रकार से संसूचित शर्तें या अभिन्यास के अनुपालन हेतु तैयार है।

(2) यदि आवेदक उपनियम (1) के संसूचित शर्तें एवं अभिन्यास, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के लिए तैयार है, तो शर्तें बंधन-नामा के रूप में दो प्रतियों में अभिलिखित की जाएँगी, एवं आवेदक द्वारा विधि रूपेण हस्ताक्षरित होंगी, एवं उसकी एक प्रति व्यपवर्तन की अनुज्ञा सहित आवेदक को दी जाएगी, एवं बंधन-नामा ऐसी अनुमति का अंश माना जाएगा। बंधन-नामा की शर्तों में एक शर्त यह भी होगी, कि आवेदक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसे वह भूमि के भाग को बेचने की वांछा रखता हो, या पट्टे पर देना वांछित हो, या हस्तांतरण करना अभीसिप्त हो, को अभिसंवेदन करे, कि खरीददार, पट्टादार या हस्तांतरिती अनुमति एवं रहन नामा के निर्बंधन एवं शर्तों का अनुपालन करेगा।

(3) यदि उपनियम (1) में वर्णित शर्तें या अभिन्यास आवेदक को मंजूर नहीं हैं, या इस प्रयोजनार्थ विशेष समय के भीतर [1][सक्षम प्राधिकारी] को कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो [1][सक्षम प्राधिकारी] भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान करने से मना कर सकता है।

10. अंतिम रूप से स्वीकृत योजना के अनुरूप तथा इसके लिये वर्णित समय के भीतर यदि आवेदक कार्य को संपन्न करने एवं कार्यान्वयन में असफल हो जाए, तो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकने वाली अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके द्वारा जमा प्रतिभूति या उसका कोई अंश जो [1][सक्षम प्राधिकारी] द्वारा सुनिश्चित किया जाए, राज्य सरकार के हित में जब्त हो जाएगा:

परन्तु यह और कि [1][सक्षम प्राधिकारी] लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए समयावधि को ऐसी आगामी समय के लिए एवं ऐसी अन्य शर्तों पर जिन्हें वह समुचित समझे, वृद्धि कर सकेगा।

11. उपनिवेशनार्थ (कालोनाइजेशन) हेतु व्यपवर्तन के इन मामलों में अंतिम रूपेण स्वीकृत अभिन्यास किसी सहज दृश्य स्थल पर, या संबंधित भूमि के पास दर्शित किया जाय जिससे वह आम जनता द्वारा सुगमता से देखा जा सके, एवं उसकी सूचना की प्रतिलिपियाँ ऐसे स्थानों पर, जो [1][सक्षम प्राधिकारी] को समुचित प्रतीत हो इस प्रयोजनार्थ, कि अभिन्यास का किसी संबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके कार्यालय में, या उन जगहों में जहाँ उसको दर्शित किया गया है, निरीक्षण किया जा सकता हो, चस्पा की जाएँगी।

12. व्यपवर्तन स्वीकृत करने वाले सभी आदेश पटवारी को सूचित किए जाने चाहिए, एवं व्यपवर्तन के दिनांक सहित अधिकार-अभिलेख में अधिसूचित किया जायेगा।

[2][**13. व्यपवर्तित भूमि का अंतरण**—इन नियमों के अधीन किसी गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से व्यपवर्तित कोई भूमि, व्यपवर्तन (परिवर्तन) शुल्क की अदायगी के बिना अंतरित की जा सकेगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ-6-74/सात-3/2010, दिनांक 23-12-2011 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-12-2011 को पृष्ठ 653-654(2) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्र. एफ-6-74/सात-3/2010, दिनांक 23-12-2011 द्वारा जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-12-2011 को पृष्ठ 653-654(2) पर प्रकाशित।

14. भूमि जिसके व्यपवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी—निम्नलिखित के व्यपवर्तन के लिये अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी—

(1) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अंतर्गत अधिग्रहण के अधीन कोई भूमि;

(2) किसी रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्मित किसी अधिनियम या नियमों में यथाविनिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित कोई अन्य मार्ग, अथवा भारतीय सड़क संगठन की मार्गदर्शिका में यथाविनिर्दिष्ट सीमा के भीतर उद्योगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण सड़कों के मध्य बिन्दु से, जो भी वृह्द (लम्बा) हो, की सीमाओं के भीतर आने वाली भूमि;

(3) एक औद्योगिक इकाई या चूने की भट्ठी या क्रशर संयंत्र या औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम की आबादी के बाह्य सीमा से 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाली भूमि। यह प्रतिबंध उन भूमियों पर लागू नहीं है, जहाँ ईंट भट्ठी, गैर प्रदूषण वाले उद्योगों, लघु तथा कुटीर उद्योग के लिए व्यपवर्तन चाहा गया हो;

(4) तालाब, नदी, नाला, झील के जल भराव के अंतर्गत आने वाली भूमि या पगडण्डी या कब्रिस्तान या ग्राम के तालाब के अंतर्गत धारित भूमि भले ही उनका ग्राम के राजस्व नक्शों या राजस्व अभिलेख में कोई विवरण न हो;

(5) सभी कंपनियों के भूमिगत पाईपलाईन के सीधे 10 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्र में आने वाली भूमि;

(6) तेल कंपनियों के भण्डार डिपो के 50 मीटर के त्रिज्या में आने वाली भूमि;

(7) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति एवं सुरक्षा से संबंधित मानदण्ड) विनियम, 2010 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमि या भवन।

15. नियम का उल्लंघन करने पर बेदखली—कोई व्यक्ति जो नियम 14 का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि का उपयोग करता है या ऐसी भूमि जो उसके द्वारा धारित खाते (अभिलेख) में दर्ज नहीं है, का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग करता है तो वह अधिनियम की धारा 250 के अनुसार बेदखली के लिये दायी होगा।

16. ब्याज—कोई व्यक्ति, जो व्यपवर्तन शुल्क की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गये समय के भीतर जमा करने में विफल रहता है, तो ऐसी कालावधि की समाप्ति से प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

17. व्यपवर्तन शुल्क/दण्ड/ब्याज का भुगतान—व्यपवर्तन शुल्क, दण्ड, ब्याज भुगतान की राशि, राजस्व शीर्ष में चालान के द्वारा बैंक या कोषालय में जमा करायी जायेगी।]